



SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

National Highway No. 15, Sriganganagar Road, Beechwal - Bikaner - 334006 (Rajasthan)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल - बीकानेर - 334006 (राजस्थान)

Phone : 0151-2250564 Fax : 0151-2253522 E-mail: compt@raubikaner.org

क्रमांक : प()/गुप-4/स्वकेराकृवि/सी/RGHS/ 109/

दिनांक : 17-12-2021
18

समस्त निदेशक/अधिष्ठाता/भू-संपत्ति अधिकारी/
परीक्षा नियंत्रक/क्षेत्रीय निदेशक अनु./प्रभारी अधिकारी/
आहरण एवं वितरण अधिकारी

.....
स्वामी केशवानन्द राज. कृषि वि. वि.
बीकानेर।

विषय : स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए राजस्थान सरकार योजना (RGHS)

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है की स्वायत्तशासी संस्थाओं में RGHS लागू करने के संबंध में कार्यालय अतिरिक्त निदेशक एवं कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के निम्नलिखित पत्रों के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर प्रकरण में मार्गदर्शन कर इस दिशा में आगामी कार्यवाही करने हेतु स्पष्ट किया गया है। जिनकी छाया प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित है।

- (1) F.1(258)MED/RGHS/SABS LETTERS/21-22/472 Dated 13-07-2021
- (2) F.1(258)MED/RGHS/SABS LETTERS/21-22/634 Dated 30-07-2021
- (3) F.1(258)MED/RGHS/SABS LETTERS/21-22/653 Dated 03-08-2021

अतः उक्तानुसार विश्वविद्यालय में RGHS लागू करने के संबंध में आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पवन कुमार कस्वा)

वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि:

प्रभारी अधिकारी CIMCA, SKRAU, BKN.
को रेफर कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करके।

D. K. Shrivastava
AACU



राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)

वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर

फोन:-2740219, 2740252, 2740292(फैक्स)

email: add.medl.slpf@rajasthan.gov.in

website: www.slpf@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-F.1(258)MEDI/RGHS/SABS LETTERS/21-22 472 दिनांक:- 13-07-2021

विषय:-राजकीय उपक्रमों /स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों/बोर्डों में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए RGHS लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक F.(5)FD/Insurance/2020 dated 09-04-2021, F.(5)FD/Insurance/2020 dated 07-07-2021 एवं प. 5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट-II दिनांक 07.07.2021 के क्रम में स्वायत्तशासी संस्थाएं Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) हेतु सहमती उपरान्त निम्न बजट मद में राशि रुपये 6100/- प्रति वर्ष प्रति कार्मिक की दर से प्रीमियम जमा करवाने का श्रम करें।

बजटशीर्ष	अंशदान
8342	अन्य जमा
00	
120	विविध जमा
(69)	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2020-21

स्वायत्तशासी संस्थाएं जिन्हे वर्ष 2021-22 में मेडिकलेम पॉलिसी जारी की जा चुकी है, उन्हें Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) हेतु अंतर राशि (RGHS हेतु प्रीमियम राशि - मेडिकलेम पॉलिसी हेतु प्रीमियम राशि) अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रीमियम राशि का भुगतान संबंधित संस्था द्वारा किया जाना है अथवा कार्मिकों से अंशदान लिया जाना है का निर्णय संबंधित संस्था स्वयं के स्तर से किया जाना है।

इस कार्यालय के पत्रांक 150 दिनांक 28.04.2021 के क्रम में उक्त योजना हेतु आपकी संस्था द्वारा कार्मिकों को वेतन का भुगतान किस IT PLATFORM (Pri Paymanager/RAJERP) के आधार पर दिया जा रहा है, अवगत करावें एवं निकाय/बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालय के कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों को SSO ID(Government) एवं JAN ADHAAR एवं पेंशनर्स को SSO ID(Citizen) एवं जनाधार बनावाने के निर्देश प्रदान करावें।

भवदीय

(शिप्रा विक्रम)

अति. निदेशक (मेडि.)

साबीनि, जयपुर



GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Office of the Project Director, State Insurance and Provident Fund Department
(RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME)

II Floor, D-Block, Vitta Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005 (Raj.)

EMAIL: ADD.DIR.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN

Phone no.: 0141-2744570

S.No :- F.1(258)MEDI/RGHS/SABS LETTERS/21-22

634

Date :- 30-07-2021

Subject: RajERP implementation in SAB's (State Autonomous Bodies) for RGHS Registrations

Reference : F.1(258)MEDI/RGHS/SABS LETTERS/21-22/603 Date : 26.07.2021

Madam/Sir,

In reference to above mentioned subject the employees of SAB (State Autonomous bodies) need to register themselves on RGHS portal using RGHS application under G2C applications on SSO.

For this each employee of SAB will be authenticated by RajERP ID, issued to each employee of SAB from RajERP application.

For this each SAB need to be on boarded on the RajERP portal by using following steps:

1. Create employee master data in below format to share with Director(T) of RISL on email (umeshcj.doit@rajasthan.gov.in, umesh.josh@gmail.com) for onboarding on RajERP portal: -

- SSO ID *
- Name *
- Unique id
- DOB *
- DOJ *
- DOR *
- Designation
- Basic Pay*
- Service Status*
 - Serving Employee (prior to 01-01-2004)
 - Serving Employee (on and after to 01-01-2004)
 - Pensioners (prior to 01-01-2004)
 - Pensioners (on and after to 01-01-2004)
- Mobile Number *
- PPO

- 2.. Each SAB need to share details of one government SSO ID, so that admin rights can be provided to this SSO for Creating/Updating/Managing employee master data.

After obtaining above information the organization will be on boarded on the RajERP and its employee master data would be uploaded on RajERP and details of RajERP ID's of the employees would be shared with the SAB, so that the employee can register themselves on RGHS portal using G2C SSO ID and RajERP ID.

291

Note: -

1. For this integration SAB need not to provide any cost to RISL.
2. No dedicated Man Power support would be provided by the RISL for this purpose.

Further each SAB has an option to implement the HRMS and/or Financial Accounting module of RajERP for the welfare of its employee's and organizations. For this 3 options are available: -

Options1-Payroll services of the HRMS module (Partial Implementation of HRMS Module)

Following services related to payroll would be provided: -

Employee profile, leave management, attendance, salary, arrear, Leave Encashment, Bonus/Ex-gratia, deduction Schedule, Salary Revision, Manual deduction, etc.

Options2- HRMS Module which consist of following sub modules

1. Leave Management
2. Attendance
3. Organization Structure
4. Transfer/ Suspension/Deputation
5. Joining/ Relieving
6. Promotion/ Pay fixation
7. Payroll Configuration
8. Payroll Processing (Arrear, Salary, Bonus/ Ex- Gratia, Leave Encashment)
9. Service Book
10. Tour Application
11. Retirement
12. Bill Reimbursement
13. Training
14. Employee Self Service
15. Employee Benefits

Option3- HRMS and FA Module

Complete implementation of HRMS module as per the details mentioned in option2 and in addition following sub module of Financial Accounting

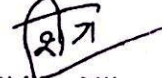
1. Ledger creation
2. Voucher Creation
3. HRMS Integrated accounting
4. GST (E-invoice)and Tax Related Services
5. Sales Register
6. Purchase Register
7. Bank Reconciliation
8. Financial statement: - Trail Balance, P&L and Balance sheet as per IndAS format
9. Other Accounting MIS etc.

Note:

1. RISL will charge cost for implementation of any above option.
2. The cost would be estimated based on the below factors: -
 - a. Option selected by the SAB
 - b. Number of Employee and offices of the SAB

- c. Dedicated manpower required for implementation support and FMS services.
 - d. Duration of implementation support and FMS services.
3. SAB need to send the request to Director(T) of RISL on email (umeshcj.doit@rajasthan.gov.in, umesh.josh@gmail.com) from administrative head of the department along with the details mentioned in point 2.
4. Accordingly, RISL will prepare project preliminary report along with cost estimates and will share it with concern SAB.

Regards,



Shipra Vikram
Project Director (RGHS)
Vitta Bhawan, Jaipur

कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
(आरजीएचएस)

वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर

फोन-2740219, 2740252, 2740292(फैक्स)

email: add.dir.rghs@rajasthan.gov.in

website: www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांक.: F.I (258)/RGHS/SAB ltrrs/ 2021-22/ 653

दिनांक: 03/08/2021

विषय: स्वायत्तशासी, संस्थाओं के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 472 दिनांक 13 जुलाई, 2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं को राज्य की राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए बजट शीर्ष और अंशदान राशि के बारे में अवगत कराया गया था एवं पंजीकरण और डेटा संधारण की सुविधा के लिए API (Application Programming Interface) की जानकारी के लिए निवेदन किया गया था कि इनके कार्मिकों को किस IT Platform के माध्यम से वेतन का वितरण किया जाता है।

इस क्रम में यदि आपका संस्थान RajERP / PRI Paymanager की सुविधा चाहता है तो आपके संस्थान द्वारा निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, जयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है (इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित एक पत्र क्रमांक 634 दिनांक 30.07.2021 आपकी सुलभता के लिए संलग्न किया जा रहा है)। कृपया ध्यान रखें कि सम्बन्धित संस्थान के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए Id संस्थान द्वारा ही एक साथ जनरेट करायी जानी है न कि सेवारत या सेवारत कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से। RajERP / PRI Paymanager तैयार न करवाने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा आपके संस्थान के कार्मिकों की जानकारी वांछित है एवं आपके संस्थान की API RGHS को उपलब्ध करानी होगी।

योजना का संक्षिप्त विवरण -

S.N.	Catagory	Premium	profit
1.	Serving Employee (prior to 01.01.2004)	6100/- प्रति कार्मिक प्रति वर्ष	योजना में कर्मचारियों को राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों और अनुमोदित निजी चिकित्सा संस्थानों में रुपये 5.00 लाख तक के इनडोर एवं डे-केयर उपचार (इसमें से रुपये 20,000/- की आउटडोर उपचार सुविधा) की कैशलेस सुविधा प्राप्त होगी तथा मानी गयी गम्भीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त रुपये 5.00 लाख के कैशलेस इनडोर/डे-केयर के उपचार की सुविधा प्राप्त होगी।
2.	Serving Employee (on and after to 01-01-2004)	6100/- प्रति कार्मिक प्रति वर्ष	
3.	Pensioners (prior to 01-01-2004)	सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए एकमुश्त राशि रुपये 61000/- (वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु) जमा कराने के पश्चात् योजना का लाभ जीवनपर्यन्त मिलता रहेगा	
4.	Pensioners (on and after to 01-01-2004)	सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए एकमुश्त राशि रुपये 61000/- (वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु) जमा कराने के पश्चात् योजना का लाभ जीवनपर्यन्त मिलता रहेगा	

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित संस्थान द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि उसके समस्त कार्मिकों को RGHS में शामिल होना होगा। कार्मिकों (आरजीएचएस लाभार्थी) को उपचार के लिए अस्पताल में कक्ष का स्तर उन्हें प्राप्त मूल वेतन के आधार पर निम्नलिखितानुसार होगा:-

Entitlement of Accommodation				
Accommodation	Pay Scale*	Entitlement in Govt. Hospital	Entitlement in Approved Private Hospital	Maximum ceiling of Boarding/Accommodation charges as per CGHS Package Rate
A	रुपये 64,000/- & above	Deluxe	Private Ward	रुपये 3,000/- per day
B	रुपये 36,000/- and above but less than रुपये 64,000/-	Cottage	Semi Private Ward	रुपये 2,000/- per day
C	Below रुपये 36,000/-	General Ward	General Ward	रुपये 1,000/- per day

अतः कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय लेकर कार्यवाही से शीघ्र अवगत करावें ताकि आपके संस्थान के कार्मिकों को RGHS के अन्तर्गत शीघ्र योजना के लाभ प्रदान कराये जा सकें।



(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक (RGHS)

चित्त भवन, जयपुर